कार्यालय कलेक्टर, आदिम जाति कल्याण विभाग

जिला उज्जैन (म.प्र.)

✉ twelfareujj-mp@nic.in ☎ 0734-2531081

क्रमांक/आजा/पोमेछा/2019–20/4602 उज्जैन, दिनांक : 18-11-2019

।। परिपत्र : पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना।।

वर्ष 2019–20

विषय :– अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश वर्ष 2019–20।

भारत शासन एवं राज्य शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उज्जैन जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्नातक से स्नाकोत्तर तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण के लिये निम्नानुसार योजनावार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (उद्धेश्य) :– इस योजना का उद्धेश्य भारत में मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके। उक्त छात्रवृत्ति में आयवार एवं जातिवार तथा समूहवार दरें निम्न प्रकार हैं–

(i) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु केन्द्र प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शासन द्वारा किये गये संशोधन अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1189 दिनांक 05.02.2011 व आयुक्त महोदय के द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं।

आय एवं दरें

क्र	आय सीमा	देय निर्वाह भत्ता/पाठ्यक्रम शुल्क
1	उन विद्यार्थियों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2,50,000/– तक है	पूर्ण छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) एवं पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क (फीस) देय है। (समस्त पाठ्यक्रमों हेतु)
2	उन विद्यार्थियों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2,50,000/– से 6,00,000/– तक है।	छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) देय नहीं है पूर्ण पाठ्यक्रशुल्क देय है (केवल 8 पाठ्यक्रमों – बी.ई., बी.फार्मा., एम.फार्मा., एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, बी.एड., पोलेटेक्नीक हेतु)
		केवल आधा शिक्षण शुल्क (फीस) देय है (उक्त 8 पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य समस्त पाठ्यक्रमों हेतु)
3	उन विद्यार्थियों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 6,00,000/– से अधिक है।	कोई छात्रवृत्ति/शुल्क देय नहीं है। (समस्त पाठ्यक्रमों हेतु)

निरंतर . . .

(ii) कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्र.पी.एम.एस./2017–18/961 दिनांक 11.1.2018 अनुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार योजना का नाम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्थान पर "छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं 12 वी एवं महाविद्यालयीन" रखा गया है। योजनांतर्गत शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है।

अशासकीय संस्थानों के पाठयक्रमों के लिए प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजि विश्विद्यालय नियामक आयेाग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक फीस का भुगतान किया जाना है। उनके शुल्क की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 3.00 लाख से बढाकर 6.00 लाख की गई है। वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 से अधिक आय वर्ग वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कोई भी शिक्षण शुल्क/छात्रवृत्ति देय नही होगी।

समुहवार संशोधित दरें

समूहवार	पाठ्यक्रम	सेशाधित दरें			
		छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		बालक	कन्या	बालक	कन्या
समूह–1	i) डिग्री और स्नाकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम एम.फिल.पी.एच.डी. स्नातक चिकित्सकीय शोध, औषधी में (एलोपेथिक) भारतीय और स्वीकृत औषधीय पद्धतियां, अभियांत्रिकी, यांत्रिकी योजना, शिल्पकार, डिजाईन, फेशन टेक्नालॉजी, कृषि, पशु, विज्ञान, प्रबंधन, वित्तीय व्यवसायिक प्रबंधन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, विज्ञान	1500	1500	550	550
	ii) व्यवसायिक हवाई चालक पायलट लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री)				
	iii) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस, प्रबंधन एवं चिकित्सा				
	iv) सी.ए./आय.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आय.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम				
	v) एम.फील, पी.एच.डी., पोस्ट चिकित्सीय अनुसंधान पाठ्यक्रम, डी.लिट, डी.एस.सी. आदि (a–समूह 2 के कोर्स में तथा b–समूह 3 के कोर्स में)				
	vi) एल.एल.एम.				
समूह–2	i) ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, डिप्लोमा डिग्री पत्र, (बी. फार्मा) नर्सींग (बी.नर्सींग) एल.एल.बी., बी.एफ.सी. एवं अन्य पैरामेडिकल कोर्सेस, होटल मेनेजमेन्ट, केट्रींग, इंटी. डेको/मासकम्यूनिकेशन/टुरिज्म/ हास्पिटलेटी मेनेजमेन्ट आदि ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी है।	820	820	530	530
	ii) पोस्ट ग्रेजुएट जो समूह 1 में सम्मिलित नहीं जैसे एम.ए.एम. एस.सी., एम.कॉम., एम.एड., एम,फार्मा				
समूह–3	i) सभी अन्य ऐसे दूसरे स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम जो समूह 1 एवं 2 में सम्मिलित नहीं है जैसे बी.ए.,बी.एस.सी., बी.कॉम., बी.एड. आदि	570	570	300	300
समूह–4	समूह 2 या 3 में शामिल न किए गए 10+2 पद्धति में कक्षा 11 वीं तथा 12 वीं और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम आई,टी,आई, पाठ्यक्रम, अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम (यदि पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो) जैसे– आय.टी.आय एवं पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स	380	380	230	230

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. के पत्र क्र./शिक्षा–1/2018–19/2088 भोपाल दिनांक 27.06.2018 अनुसार शासकीय स्वशासी एवं निजी पैरामेडीकल संस्थाओं में पैरामेडिकल पाठयक्रमों के वार्षिक शुल्क के निर्धारण अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है।

पैरामेडिकल पाठयक्रम सर्टिफिकेट डिप्लोमा, डिग्री एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों हेतु निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है।:–

क्र.	पाठयक्रम	वार्षिक शुल्क (रू.)
1	स्नातकोत्तर (पी.जी.)	1,00,000
2	डिग्री (3 से 4 वर्षीय)	56,000
3	डिप्लोमा (2 वर्षीय)	36,000
4	प्रमाण–पत्र (एक वर्षीय)	26,000

उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढोत्तरी होगी जिसे निकटतम 10 के पूर्णांक में निर्धारित किया जाए।

उपरोक्तानुसार समस्त दी गई दरों के मान से शासन द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं।

कार्यालयीन पृष्ठांकन पत्र **क्रमांक 645/दिनांक 05.02.2014** अनुसार शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग का आदेश **क्रमांक/शिक्षा–1/13–14/9234 दिनांक 01.02.2014** द्वारा अशासकीय संस्थाओं के लिए विभाग द्वारा शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों में निम्नानुसार प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैं –

1) अशासकीय संस्था के लिए विभाग द्वारा दी गई शिक्षण शुल्क की राशि का संस्था को भुगतान विद्यार्थी द्वारा किया गया अथवा नहीं यह पुष्टि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत नवीनीकरण आवेदन पत्र में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2) संबंधित शिक्षण संस्था में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रत्येक सेमिस्टर/वर्ष में (लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग–अलग) परीक्षाफल यदि 75 प्रतिशत से कम रहेगा तो भविष्य के लिये संबंधित शिक्षण संस्था में नये प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये देय शिक्षण शुल्क से संस्था को अपात्र माना जाएगा।
3) संबंधित शिक्षण संस्था में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के प्रवेशित विद्यार्थियों में लगातार दो सेमिस्टर ब्रेक अथवा एवं वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगामी सेमिस्टर/वर्ष के लिए पुनरीक्षित शिक्षण शुल्क की पात्रता नहीं होगी।
4) शिक्षण संस्था में प्रवेशित आदिवासी वर्ग के विद्यार्थी यदि (युक्तियुक्त कारणों को छोड़कर) परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो स्वीकृत पुनरीक्षित शिक्षण शुल्क की राशि विद्यार्थी से भू–राजस्व की वसूली की भांति की जावेगी एवं संबंधित विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण–पत्र में प्रतिकूल टीप भी दर्ज की जा सकेगी।
5) **विद्यार्थी के आधार इनेबल्ड बैंक खाते में शिक्षक शुल्क का भुगतान किया जाएगा। बिना आधार अधारित बैंक खाते वाले विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।** विद्यार्थी के बैंक खाते में प्राप्त शिक्षण शुल्क राशि संबंधित विद्यार्थी द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्था के बैंक खाते में बैंक के माध्यम से हस्तांरित की जाएगी।
6) उपरोक्त देय शिक्षण शुल्क की राशि आधार इनवल्ड बैंक खाते में विद्यार्थी को जिला कार्यालय द्वारा भुगतान की जाएगी।
7) विद्यार्थी के खाते से अशासकीय संस्था के बैंक खाते में किये गये शुल्क भुगतान की पुष्टि तथा विद्यार्थी की संस्था में उपस्थिति की पुष्टि प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत अथवा 6 माह में विभाग द्वारा की जाएगी।

2. अशासकीय संस्थाओं में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान के लिए अभिलेखों का संधारण :–

(क) विद्यार्थी का संस्था में नियमित नामांकन।

(ख) विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति।

(ग) सभी छात्रवृत्ति आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अर्थात् बैंक खात एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

(घ) विद्यार्थी का माइग्रेशन सर्टीफिकेट एवं अन्य मूल प्रमाण पत्र (मूल टीसी) संस्था में रखे जायेंगे।

(ड़) संस्था स्वयं की बायोमैट्रिक मशीन क्रय करेगा। बायोमैट्रिक मशीन से वेब आधारित ऑनलाईन बायेमैट्रिक उपस्थिति रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था संस्था को अपने व्यय पर करनी होगी। इस संबंध में विभाग द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा तथा विभाग द्वारा अन्य तकनीकि मापदण्ड तय किए जायेंगे। संस्था में उपस्थित पंजी भी रखी जायेगी।

(च) उपस्थित नोडल अधिकारी प्राचार्य द्वारा समय–समय पर वर्ष में न्यूनतम 4 बार छात्र उपस्थिति सत्यापित करेगा तथा उसको वेबसाइट पर भी प्रकाशित करायेगा।

अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा उपरोक्त नवीन दर से शिक्षण शुल्क को स्वीकृत/भुगतान किया जावेगा, उन विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क के संबंध में विभाग का दायित्व विद्यार्थी के आधार कार्ड/बैंक खाते में राशि भुगतान तक सीमित रहेगा। जिले में विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की नियमित रूप से समीक्षा की जावेगी।

कार्यालीन पृष्ठांकन पत्र क्र. 1471 दिनांक 13.02.2014 अनुसार शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार अशासकीय महाविद्यालयों में चिन्हांकित पाठ्यक्रमों अन्तर्गत अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सम्बंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि –

1) आदेश की कंडिका–2 में जिन पाठ्यक्रमों के केन्द्रीयकृत प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित है उनके लिए प्रवेश परीक्षा की मेरिट अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायें। कंडिका–5 में पाठ्यक्रमवार विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है प्रतिवर्ष नए प्रवेशित विद्यार्थियों को इस निर्धारित संख्या में नवीन शासन निर्देशों के अनुरूप शिक्षण शुल्क भुगतान किया जावे।
2) चयनित पाठ्यक्रम (1) के लिए निर्धारित संख्या में प्रतिवर्ष नए प्रवेशित विद्यार्थियों को नवीन शासन निर्देशों के अनुरूप शिक्षण शुल्क भुगतान किया जाये।
3) चयनित सम्बंधित पाठ्यक्रम के सभी कक्षाओं/सत्रों के अध्ययनरत् सभी विद्यार्थियों को शासन निर्देशों अनुरूप नवीन शिक्षण शुल्क भुगतान किया जाये।
4) जिन पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया नहीं है, नर्सिंग कोर्स, पॉलीटेक्निक में सीधे प्रवेश होने से एकजाई मेरिट का निर्धारण नही हो सकेगा। ऐसे पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेशित सभी विद्यार्थीयों (निर्धारित संख्या तक) को नवीन शासन निर्देशों के अनुरूप शिक्षण शुल्क भुगतान किया जाये।

3. अवितरित/अवशेष राशि :– विगत वर्षो की अवशेष/अवितरित राशि यदि हो, तो उसे तत्काल निम्नलिखित शीर्ष में जमा किया जाकर चालान की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावें –

मद :– "0250 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 0102 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण की योजनाओं से प्राप्तियां"

भारत सरकार एवं राज्य शासन के योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति स्नातक से स्नाकोत्तर तक व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत/वितरित की जाने हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत/वितरण के संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं –

अ.जा./अ.ज.जा. के पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश के साथ ही ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन करवाये। यदि आवेदन पत्र त्रृटिपूर्ण या अपूर्ण हो तो तत्काल उसकी पूर्ति करावे।

4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण तिथि :–विद्यार्थी के आधार इनेबल्ड बैंक खाते में शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। विद्यार्थी के बैंक खाते में प्राप्त शिक्षण शुल्क राशि संबंधित विद्यार्थी द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्था के बैंक खाते में बैंक के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

5. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) जिन संस्थाओं में प्रवेश (प्रवेश परीक्षा) अथवा काउन्सलिंग प्रक्रिया के कारण विलम्ब से होता है तो ऐसी संस्थाओं के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र प्रवेश दिनांक के 30 दिन के अन्दर प्राप्त होना आवश्यक है।

(2) अशासकीय संस्थायें उक्त निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन नोडल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे।

(3) अशासकीय संस्थायें आवेदन पत्र की पूर्ण पूर्ति व आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रत्येक आवेदन पत्र पर नियमानुसार मोहर लगाकर प्रत्येक आवेदन पत्र की पूर्ण जाँच कर हस्ताक्षर कर स्वीकृति पत्रक तैयार कर नोडल अधिकारी के माध्यम से स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। (संलग्न दस्तावेज में संबंधित छात्र/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर/सील अनिवार्य है।)

6. छात्रवृत्ति स्वीकृति :–

अशासकीय संस्थाओं के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पृथक–पृथक वर्गवार छात्रवृत्ति व आवास योजना के आय सीमा के अनुसार ऑनलाईन स्वीकृति प्रस्ताव तैयार कर नोडल संस्था के माध्यम से नियमानुसार स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं शासकीय संस्थाएँ उपरोक्त आयसीमा अनुसार छात्रवृत्ति पत्रक तैयार कर स्वीकृत करेंगे।

नोट :–

1) स्वीकृति निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन ही मान्य की जावेगी।
2) संस्थाओं को यदि अन्य कालम जोड़ना हो तो उक्त अन्य कलम निर्धारित प्रारूप के अन्त में जोड़े जा सकते हैं।
3) स्वीकृति पत्रक के समस्त कॉलमों में राशियों के पूर्ण जोड़ का उत्तर दायित्व संस्था प्रमुख का होगा। कुल स्वीकृत राशि शब्दों में भी अंकित की जावे, जिसमें स्वीकृति के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा।
4) स्वीकृति पत्रक के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रमुख की मोहर व हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
5) स्वीकृतियों पर विद्यार्थियों का स्कॉलर नंबर अलग से दर्ज करें, जिससे जाँच के समय विद्यार्थियों की जाति सत्यापित की जा सके।
6) **स्वीकृति हेतु आय की गणना सकल वेतन (ग्रास अमाउंट) या कुल परिउपलब्धियों से मिलने वाले समस्त लाभों के आधार पर ही की जावे।(प्रपत्र प्रारूप–16)**
7) संस्था में विद्यार्थियों का प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे आगामी माह से छात्रवृत्ति भुगतान की जावे।
8) अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति तब तक स्वीकृत न की जावे जब तक वह अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले लेता है।

9) आयुक्त अनुसूचित जाति विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/क्रमांक/शिक्षा.1/2015–16/2462 भोपाल दिलांक 25.06.2015 द्वारा अनुतीर्ण होने पर एवं एटीकेटी के विद्यार्थीयों को उच्चतर कक्षा में कमोन्नत होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता रहेगी।

7. छात्रवृत्ति नवीन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्र संलग्न होना आवश्यक है :–(चेक लिस्ट)

1) **पासपोर्ट साईज फोटो** :– आवेदन पत्र पर विद्यार्थी का स्वयं हस्ताक्षरित नवीन फोटो चिपका होना चाहिये।

2) **जाति प्रमाण–पत्र** :– आवेदन पत्र के साथ **अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र** की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिये।(डिजीटल जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये)

3) **मूल निवासी प्रमाण–पत्र** :– मूल निवासी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
नोटः– विद्यार्थी यदि राज्य के बाहर मूल निवासी हो तो ऐसे विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संबंधी राज्य के जिला कलेक्टर को भेजकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर भुगतान करें व इस कार्यालय को अवगत करावे।

4) **आय प्रमाण पत्र** :– विद्यार्थी के माता–पिता, जहाँ नौकरी करते हैं वहां के नियोक्ता का आय प्रमाण–पत्र (मूल) संलग्न करें, जिसमें समस्त परिलब्धियों का पृथक–पृथक उल्लेख होना चाहिये। यदि मजदूरी तथा अन्य व्यवसाय करते हो तो तहसीलदार का तथा कृषि करते हो तो राजस्व अधिकारी का आय प्रमाण–पत्र मान्य किया जावेगा। विवाहित स्त्री के पति का आय प्रमाण–पत्र मान्य किया जावेगा।
नोटः– (अ) स्वप्रमाणित आय प्रमाण–पत्र/स्वयं के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। आय घोषणा पत्र मान्य नहीं होगा, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
(ब) माता–पिता के जीवित रहते हुए अन्य अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
(स) अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के पालकों के आय प्रमाण–पत्र पूर्ण संतुष्टि पश्चात् यथा जानकारी प्राप्त कर ही अग्रेषित करें। छात्रों द्वारा जानकारी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर संस्था को भी दोषी माना जावेगा।

8) **अंकसूची** :– आवेदन पत्र के साथ उत्तीर्ण की गई समस्त परीक्षाओं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

9) **सेवा में नहीं होने संबंधी घोषण–पत्र** :– आवेदित विद्यार्थी का सेवा में नहीं होने संबंधी घोषणा–पत्र संलग्न किया जावे। (शपथ–पत्र)

10) **अन्य महाविद्यालय में अध्ययनरत् नहीं होने संबंधी घोषण पत्र** :– आवेदित विद्यार्थी का अन्य महाविद्यालय में अध्ययनरत् नहीं होने संबंधी घोषणा (शपथ पत्र में उल्लेख करें)

11) **नवीन आवेदन पत्रों के साथ मूल टी.सी. के संबंध में घोषण पत्र** :– आवेदित नवीन विद्यार्थी को मूल टी.सी. से टी.सी. की छायाप्रति का मिलान कराने संबंधी उल्लेख शपथ पत्र में देना आवश्यक होगा।

12) **विवाहिता के आय प्रमाण के संबंध में घोषण पत्र** :– आवेदिका के विवाहिता होने पर पति का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें। (विवाहित होने के संबंध में शपथ पत्र में उल्लेख करें)

13) **गेप घोषणा पत्र** :–यदि विद्यार्थी का चालू सत्र के पूर्व परीक्षा में गेप हुआ हो तो उक्त अवधि का गेप पत्र संलग्न करें। (शपथ पत्र में गेप अवधि का उल्लेख करें)

14) **शुल्क (फीस) के संबंध में** :– छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्कों का स्पष्ट मदवार खुलासा किया जाना चाहिये।
   1. शुल्क वितरण हेतु संस्था का प्रास्पेक्टस (विवरणिका) की प्रति संलग्न कर भेजे अथवा शुल्क विवरण संलग्न करें।

2. अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में ली जाने वाली फीस का अनुमोदन शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा से कराकर प्रस्तुत करें।
3. जिन गतिविधियों के नाम पर संस्थाओं द्वारा शुल्क वसूला जाता है व गतिविधियाँ संस्थाओं में संचालित होना आवश्यक है। (उक्त आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न प्रस्तुत करें)
4. प्राचार्य के हस्ताक्षर :– पो.मै. छात्रवृत्ति आवेदन पर यथा स्थान संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर /सील होना आवश्यक है :–
5. हस्ताक्षर रबर मोहर मान्य नहीं है।
6. शासकीय संस्थाओं के निरीक्षण में पाया गया है कि प्राचार्य छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते है जो कि नियम के अनुकुल नहीं है।

8. आवेदन पत्र की पूर्णता :– संस्था एवं विद्यार्थी द्वारा पो.मे. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के समस्त कॉलमों की पूर्ति की जाना आवश्यक है। कोई कॉलम संबंधित नहीं हो तो 'X' का चिन्ह अंकित किया जावे। साथ ही समस्त आवश्यक पत्र संलग्न करें।

नोट :–

1) निर्धारित तिथि के बाद किये गये आवेदनों या अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित पत्रों/सहपत्रों के बगैर किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2) यदि संस्था द्वारा आवेदन अपूर्ण या विलंब से अग्रेषित किये जाते हैं तथा इससे यदि किसी छात्र की छात्रवृत्ति निरस्त होने से किसी छात्र को आर्थिक नुकसान होता है तो इसके लिये संस्था प्रमुख पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
3) छात्रवृत्ति निरस्त होने के उपरान्त किसी भी संस्था या विद्यार्थी का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

9. अशासकीय संस्थाओं के प्रस्ताव प्रतिहस्ताक्षर :– अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की सूची व संस्था की मान्यता होने संबंधी पत्र निम्नानुसार प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त ही स्वीकृत किया जावे :–

महाविद्यालयीन स्तर :– अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जावे।

10. संस्था का पत्र :– प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ निम्न पत्र प्रस्तुत किया जावे।

।। संस्था का घोषण–पत्र ।।

संस्था द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.जा./अ.ज.जा.) के जो आवेदन पत्र (सूची अनुसार) प्रस्तुत किये गये हैं उसमें अंकित समस्त प्रविष्टयों का मिलान संस्था के रिकार्ड से किया गया है जो सही है। आवेदित छात्र इस संस्था के नियमित विद्यार्थी है एवं समस्त छात्रों को संस्था में प्रवेश मूल स्थानांतरण पत्र (टी.सी.) प्राप्त कर दिया गया है।

प्राचार्य

(संस्था की मोहर)

नोट :– आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. का पत्र क्रमांक/पी.एम.एस./79/05/18536 दि. 24.10.05 से प्राप्त निर्देशानुसार अशासकीय संस्थाओं से शुल्क प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ–12/64/98/25/2 दिनांक 05.06.1999 के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अशासकीय संस्थाओं से शुल्क उसी सीमा तक देय होगा जो किसी शासकीय संस्था में अध्ययरनत् अनु.जाति/अ.ज.जा. के छात्रों से लिया जाता है अर्थात् अशासकीय संस्थाओं में शासकीय संस्थाओं में लगने वाले शुल्क के बराबर ही शुल्क पो.मे.छात्रवृत्ति अंतर्गत देय होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति हेतु शासकीय महाविद्यालयों/स्वशायी विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित "स्ववित्त" पाठ्यक्रमों में यह योजना नियमानुसार लागू हो।

11. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान :–

म.प्र. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ–12–21/05/25–2 दिनांक 07.09.2005 द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देशों के तहत् पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन स्वीकृति एवं ऑनलाईन वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं शासन द्वारा निर्धारित निम्नानुसार प्रारूप में अ.जा./अ.ज.जा./की ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृत/वितरण की स्थाई पंजी पूर्व निर्धारित प्रारूप में संधारित करें।

12. अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रवृत्ति स्वीकृति :–

प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय अपने अधीनस्थ आने वाली अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् अनु.जाति/अनु.जनजाति के छात्र–छात्राओं के प्राप्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र/प्रस्तावों का शासन नियम निर्देशों के तहत् परीक्षण उपरान्त इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

13. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

1) शासकीय संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के माता/पिता/अभिभावक की आय सीमा की गणना, अवधि, निर्धारित छात्रवृत्ति की दर, जाति व आय का पूर्ण सत्यापन पश्चात् ही ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जावेगी।
2) विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जावे।
3) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के संलग्न विद्यार्थियों के द्वारा पालकों के कम राशि के वार्षिक आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं जबकि छात्र के पालक की आय प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्रों से कई गुना अधिक होती है एवं शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के बच्चों के द्वारा भी आय सीमा में आय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिये जाते हैं एवं उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी संस्था प्रमुखों के द्वारा छात्रवृत्ति/आवेदन पत्र/स्वीकृति इस कार्यालय को भेजकर अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाई जा रही है संस्था प्रमुख विद्यार्थियों से उनके पिता/पालकों का आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पूर्व पिता का व्यवसाय का पता लगाकर यह जानकारी प्राप्त करें कि उनके पास कितनी कृषि भूमि एवं अन्य व्यवसाय संपत्ति का भी पूर्ण विवरण प्राप्त करें तत्पश्चात् यदि शासकीय सेवक हो तो उसकी जानकारी प्राप्त कर लेवें एवं आवेदन पत्र में दर्शाई गई अनुसूची की पूर्ति करें। तदोपरांत ही आवेदन पत्र इस कार्यालय द्वारा स्वीकार किये जावेगें।

   विद्यार्थियों एवं उनके पालकों का ऐसा कृत्य करना धोखा–धड़ी की श्रेणी में आता है एवं ऐसे विद्यार्थियों के आवेदन पत्र/स्वीकृति अग्रेषित कर संस्था भी दोषी होती है।

अतः प्रत्येक संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों के पालकों की आय की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही आवेदन इस कार्यालय को अग्रेषित करें। अधिक आय वाले अपात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र अपने स्तर से ही निरस्त करें। इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक भुगतान छात्रवृत्ति प्रकरणों की सघन जांच करवाई जावेगी।

जाँच में यदि कोई विद्यार्थी अपात्र होकर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया तो विद्यार्थी की डिग्री रोकने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जावेगा। विद्यार्थी के पालक के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया जावेगा एवं संबंधित संस्था के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी।

4) समस्त छात्रवृत्ति/शुल्कों की प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाईन स्वीकृति एक ही जारी की जावेगी। यदि किन्ही कारणों से छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति अस्वीकृत होती है या छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो, छात्र–छात्राओं को इस कार्यालय में नहीं भेजा जावे। संबंधित लिपिक कार्यालय में आकर समस्या का निराकरण या जानकारी प्राप्त करें।

नोट :– संस्था प्रमुख अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण तथा विलंब से छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र इस कार्यालय को अग्रेषित नहीं करे। एक–एक विद्याथियों के अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित नहीं करें अपितु संस्था के समस्त पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र एक साथ भेजें। इसके उपरान्त भी यदि अपूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं या विलंब से प्राप्त होने के कारण कोई आवेदन पत्र अस्वीकृत होता है तो उन पर बाद में कोई विचार नहीं किया जावेगा। इस हेतु संस्था प्रमुख ही दोषी माने जावेंगे।

14. छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 में स्वीकृति प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश :–

1) **फीस केपिंग :–** शासकीय संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की फीस प्रविष्ट करके एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराई जावें, ताकि समयावधी में पाठ्यक्रमों की फीस केपिंग की कार्यवाही की जा सके।

2) **फीस वेरिफिकेशन :–** अशासकीय संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की फीस प्रविष्ट करके एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराई जावें, ताकि समयावधी में पाठ्यक्रमों की फीस वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सके।

3) **स्वीकृति प्रस्ताव (प्रपोज़ल) :–**शासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा नियमानुसार समस्त पात्र छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त किया जाकर एवं समस्त आवेदनों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाकर केवल छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र एवं पूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदनों का ही अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं नवीन नवीनीकरण आवेदनों हेतु पृथक–पृथक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 से स्वीकृति प्रस्ताव (प्रपोज़ल) जनरेट किया जावें। अपात्र/अधूरे दस्तावेजों वाले आवेदनों को संस्था स्तर पर ही निरस्त किया जावें एवं इनका स्वीकृति प्रस्ताव (प्रपोज़ल) नहीं बनाया जावें।
नोट :– संस्थाओं द्वारा यथासंभव निर्धारित अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त छात्रवृत्ति हेतु पात्र आवेदनों का अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं नवीन, नवीनीकरण आवेदनों हेतु पृथक–पृथक **एक–एक** ही प्रपोज़ल बनाया जावें। छोटे–छोटे (अपेक्षाकृत कम आवेदन वाले) प्रपोज़ल नहीं बनाये जावें।

4) **स्वीकृति प्रस्ताव का अग्रेषण :–** अशासकीय संस्थाओं द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृति प्रस्ताव (प्रपोज़ल) तैयार किया जाकर संबंधित नोडल संस्था को आवेदनों सहित नियमानुसार अग्रेषित किया जावें।

नोट :–छात्रवृत्ति आवेदनों में सभी दस्तावेजों की पूर्ति संस्था स्तर की जाकर ही आवेदनों को अग्रेषित किया जावें। **नोडल एवं जिला कार्यालय स्तर पर आवेदनों में दस्तावेजों की पूर्ति (आपत्ति पूर्ति) का कोई प्रावधान नहीं है।** अतः आवेदनों में अधूरे दस्तावेज़ होने की स्थिति में आवेदनों को नोडल एवं जिला कार्यालय स्तर पर निरस्त किया जावेगा। जिसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित अशासकीय संस्था की होगी।

5) **नोडल द्वारा अग्रेषण :–** अशासकीय संस्थाओं द्वारा अग्रेषित किये गये समस्त आवेदनों का संबंधित नोडल संस्थाओं द्वारा सूक्ष्मता से परीक्षण किया जावें। नोडल संस्था द्वारा केवल छात्रवृत्ति हेतु पात्र आवेदन पत्रों को ही स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय में अग्रेषित किया जावें एवं अपात्र/अधूरे आवेदनों को संबंधित अशासकीय संस्था को मूलतः वापस किया जावें एवं **इन आवेदनों को जिला कार्यालय में स्वीकृति हेतु अग्रेषित नहीं किया जावे।**

नोट :– अशासकीय संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये स्वीकृति प्रस्ताव (प्रपोज़ल) में नोडल संस्था द्वारा **लाल स्याही** के पेन से स्पष्ट रूप से अधूरे/अपात्र आवेदनों के नाम के सम्मुख REJ लिखा

जावें। उक्त मार्किंग के अलावा स्वीकृति प्रस्ताव (प्रपोज़ल) पर अन्य किसी प्रकार की मार्किंग ना की जावे। उपर्युक्तानुसार मार्किंग के पश्चात ही स्वीकृति प्रस्ताव (प्रपोज़ल) जिला कार्यालय को अग्रेषित किया जावें।

6) **ऑनलाईन स्वीकृति :–** अशासकीय संस्थाओं की स्थिति में नोडल संस्था द्वारा अग्रेषित किये गये आवेदनों की जिला कार्यालय द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जावेगी।

शासकीय संस्थाओं की स्थिति में संबंधित संस्था द्वारा नियमानुसार ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जावेगी एवं ऑनलाईन जारी किये गये स्वीकृति पत्रक, वितरण की कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय को नियमानुसार अग्रेषित किया जावेगा। प्रत्येक आवेदन में हितग्राही प्रोफाईल पंजीयन तथा ई–केवायसी होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नही किया जावें।

नोट :– अशासकीय संस्था द्वारा अग्रेषित एवं नोडल संस्था द्वारा अनुशंसित आवेदनों की पूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्था की होगी।

7) छात्रवृत्ति का ई–वितरण :– पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का वितरण छात्र/छात्राओं के आधार इनेबल्ड बैंक खाते में जिला कार्यालय द्वारा जिला कोषालय के माध्यम से ई–पेमेन्ट द्वारा करवाया जावेगा।
नोट :– छात्रवृत्ति राशि का वितरण छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन में दिये गये बैंक खाते में किया जावेगा। बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये संबंधित छात्र एवं संस्था पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे छात्र/छात्रा का बैंक खाता सेविंग का बचत खाता चालू होना है। तथा आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है, संस्था प्रमुख आनलाईन प्रेषित करने के पूर्व बैंक खाता नं./आई.एफ.एस.सी. कोड नं./आधार नं. की मूल प्रति से मिलान कर सत्यापित करने के पश्चात ही आनलाईन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करें।

8) **कियोस्क(Kiosk) बैंक खाता छात्रवृति हेतु मान्य नही है।**

9) **प्रायः यह देखा गया है, कि छात्रवृत्ति स्वीकृति शासकीय/अशासकीय जारी होने के बाद ऑनलाईन उपिस्थिति लॉक नही रहता है, जिससे भुगतान में विलम्ब होता है। अतः भारत सरकार के नियम/निर्देश अप्रैल 2018 अनुसार छात्रवृत्ति हेतु 75 प्रतिशत उपिस्थिति होना अनिवार्य है।**

आवास सहायता स्वीकृति अनुसूचित जाति/जनजाति योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 निर्देश

आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/छात्रावास/455/2016/22297 भोपाल **दिनांक 17.10.2010** अनुसार योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार अंकित बिंदु अनुसार कार्यवाही करें।

1) उज्जैन संभागीय मुख्यालय होने से रूपये 2000/– तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/– प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी।
2) योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश बढाना है। अतः केवल डिग्री पाठयक्रमों हेतु आवास सहायता की पात्रता निर्धारित की गई हैं।
3) मूल योजना में विद्यार्थी द्वारा जिस स्थान/नगर के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं में नियमित अध्ययन किया जा रहा है उस स्थान में निवास न होने का प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।
4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूचित 1क अनुसार देय स्टाम्प शुल्क ही मान्य होगा।
5) केवल संभाग, जिला, तहसील/विकासखण्ड स्तर पर स्थित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आर्थिक अवरोध से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु योजना स्वीकृत की गई है। विकासखण्ड स्तर से नीचे के ग्रामों में किराये के पर्याप्त मकान मिलना संभव नहीं है, अतः योजना विकासखंड स्तर तक सीमित रहेगी।
6) **महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।**
7) मूल निवास से भिन्न स्थान पर किराये के भवन एवं महाविद्यालय होने पर आवास सहायता की पात्रता रहेंगी।

8) पो.मै.छा. एक पिता के सभी बच्चों को देय है। आवास सहायता योजना में विद्यार्थी इकाई है। अतः संयुक्त निवास करने पर विद्यार्थी को इकाई मानकार निर्धारित आवास सहायता राशि दी जायेगी।

9) आवास भत्ता के आवेदकों की पात्रता सूची आवेदन प्राप्त होने के क्रम से तैयार की जावें। पात्र विद्यार्थी को पहले पो.मै.छात्रावास में प्रवेश दिया जावें। प्रवेश न लेने पर आवास भत्ते की पात्रता भी नहीं रहेगी एवं अगले क्रम के विद्यार्थी को पो.मै.छात्रावास में प्रवेश दिया जावें। सीट पूर्ण होने के पश्चात शेष आवेदकों को ही आवास भत्ते की पात्रता रहेगी।

10) आवास सहायता आवेदन पत्र को अग्रेषित करने वाली मूल संस्था द्वारा सत्यापन किया जायेगा। आवास सहायता स्वीकृत करने वाली संस्था का भी यह दायित्व रहेगा कि सत्यापन/संतुष्टि सुनिश्चित करें।

11) RTGS के स्थान पर NEFT/IMPS/BANK TRANSFERपढा जायें।

11) पाठयक्रम निरन्तर रखते हुए सत्र के मध्य में आवास रिक्त करने पर आवास सहायता का भुगताननहीं किया जावेगा। आवास बदलने की स्थिति में नया किरायानामा/अनुबन्ध प्रस्तुत करने पर नये आवास हेतु आवास सहायता दी जा सकेगी।

12) निर्धारित Installment अनुसार राशि दी जाये।

13) आवास सहायता योजना नियम 2013 की कंडिका 5(1) के अनुसार शासकीय छात्रावासों में प्रवेश न होने पर आवास सहायता की पात्रता होगी।

म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनु.जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक /एफ–12–06/2013/25–2/1860–61/23.12.2016 द्वारा आवास सहायता में संशोधित ओदशों के तहत निम्नानुसार निर्देश प्रदत्त है।

1. **ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12वी के उर्त्तीण के बाद शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर समस्त उच्च स्तरीय पाठयक्रम में नियमित प्रवेशित है तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नही हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र हागें।**
2. **आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्र.एफ.23–4/2013/25–5 भोपाल, दिनांक 04.12.2017 अनुसार आवास सहायता हेतु नर्सिंग डिप्लोमा पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को भी आवास सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये गये है। जिसके तहत समस्त डिप्लोमा पाठयक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12 वीं हो में अध्ययनरत नियमित छात्र–छात्राएं भी आवास सहायता योजना हेतु पात्र होगे।**
3. **अनुर्त्तीण अथवा परीक्षा परीणाम स्थगित होने पर अपात्र होगें।**
4. **प्रति विद्यार्थी को प्रति माह की दर से 12 माह की आवास सहायता राशि देय होगी।**

5. आवास सहायता पाठयक्रम की काल अवधी एक बार ही देय होगी। किराये कि गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हाथ) से की जावेगीं।

वर्ष 2018–19 में प्रायः शैक्षणिक संस्थाओ से पोस्ट मैटिक छात्रवृति आवेदन/आवास सहायता स्वीकृति पश्चात शासकीय संस्थाओं के अत्यंत विलम्ब माह मार्च 2018 के पश्चात कार्यालय में प्राप्त होकर कलेक्टर के माध्यम से स्वीकृति की पश्चात भुगतान की कार्यवाही की गई, तथा अशासकीय संस्थाओ के आवेदन भी विलम्ब से प्राप्त होकर स्वीकृति जारी करने तथा छात्रवृति भुगतान में विलम्ब होने से छात्र–छात्राओ द्वारा सी.एम हेल्प लाईन/जनसुनवाई/सी.एम समाधान आदि में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके कारण कार्य में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न होता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए छात्र का संस्था में प्रवेश के समय ही छात्रवृत्ति फार्म में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख प्राप्त करें ताकि छात्रवृति आवेदन आनलाईन पूर्ति करते समय विलम्ब न होकर समयावधि मे स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही की जा सके। वर्ष 2019–20 के प्रस्ताव/स्वीकृति 31 दिसम्बर 2019 तक कार्यालय में भुगतान हेतु अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(नोट :– अशासकीय संस्थाऐं आवश्यक दस्तावेज एवं परिपत्र में संलग्न प्रारूप अ,ब,स,द छात्रवृत्ति आवेदन में संलग्न करने के उपरांत ही प्रस्तुत करें।)

District Organiser
कलेक्टर
Tribal Welfare
जिला उज्जैन, म.प्र.
उज्जैन, दिनांक Ujjain (M.P.) 18/11/19

पृ.क्रमांक/आजा/पोमेछा/2019–20/ 4603
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल।
3. प्राचार्य, शासकीय बालक/कन्या, स्नातक/स्नाकोत्तर/पोलिटेक्निक/महाविद्यालय (समस्त) ___________________________ जिला उज्जैन।
4. नोडल प्राचार्य, शासकीय/स्नातक/स्नाकोत्तर/पोलिटेक्निक/महाविद्यालय/अशासकीय इंस्टीट्यूट (समस्त) ___________________________ जिला उज्जैन, (समस्त) नोडल प्राचार्य की ओर प्रेषित कर लेख है कि अशासकीय महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी होने से अशासकीय संस्थाओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन पत्रों की पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्णता सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र जिला कार्यालय को अग्रेषित करें।
5. मण्डल संयोजक, आ.जा.क.वि. उज्जैन/तराना/बड़नगर/खाचरौद–नागदा/घट्टिया/महिदपुर।

कलेक्टर District Organiser
जिला उज्जैन, म.प्र. Tribal Welfare
Ujjain (M.P.)

SwapniL S Swapnil Shiva\शाखा SCHOLARSHIP\पोमेछा परिपत्र

प्रारूप-अ

।। शपथ पत्र ।।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.जा/अ.ज.जा.)

मैं .....कक्षा .....शासकीय/ अशासकीय ..... का नियमित छात्र/छात्रा हुं, मेरे द्वारा सत्र .....में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.जा./अ.ज.जा.) हेतु आवेदन किया है। मैं यह शपथ पूर्वक लिख देता/देती हुं, कि मेनें किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश नही लिया है, तथा न ही मैं किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रायवेट सेवा में नियोजित हूं।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि उक्त जानाकरी असत्य पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

स्थान –
दिनांक –

नाम .....
पिता का नाम.....
पता.....
.....
मोबाईल नंबर.....

प्रारूप-ब

।। शपथ पत्र ।।

(बैंक खाते के संबधं)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.जा/अ.ज.जा.)

मैं .....कक्षा .... शासकीय/अशासकीय ..... का नियमित छात्र/छात्रा हुं, मेरे द्वारा सत्र ..... में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.जा./अ.ज.जा.) हेतु आवेदन किया है। मेने अपने बैंक खाता क्र. .....आई.एफ.एस.सी. .... को अपने आधार क्र. ..... से लिंक है, एवं उसका ई–के.वाय.सी. कोड भी करा दिया है तथा मेरा बैंक खाता वर्तमान में चालु है। उक्त खाते में छात्रवृत्ति की राशि जमा कराई जा सकती है।

मेरेद्वाराा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि उक्त जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

स्थान –
दिनांक –

नाम .....
पिता का नाम.....
पता.....
.....
मोबाईल नंबर.....

प्रारूप-स

अशासकीय महाविद्यालय

छात्रवृत्ति आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र

महाविद्यालय का नाम.....

1. आय प्रमाण–पत्र।
2. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
3. स्थायी जाति प्रमाण–पत्र।
4. 10वी, 12वी एवं जिस वर्ष में अध्ययनरत हो उस वर्ष तक की अंकसूची।
5. टी.सी. की छायाप्रति।
6. SSSM ID की छायाप्रति।
7. आधारकार्ड।
8. फीस रसीद।
9. इनरॉलमेंट फार्म की छायाप्रति।
10. घोषणा पत्र।
11. परिवार सूची।
12. गेप शपथ पत्र (यदि गेप हो तो)।
13. बैंक पास बुक की छायाप्रति (अंतिम 3 माह के स्टेटमेंट के साथ)।
14. क्रमोन्नति।
15. नवीन/नवीनीकरण में संस्था द्वारा प्रमाणित अंकसूची की छायाप्रति।
16. नवीनीकरण आवेदनों में संस्था में प्रथमबार प्रवेश की दिनांक अंकित करना अनिवार्य है।
17. नवीन/नवीनीकरण स्वीकृति ऑनलाईन दर्शित होते ही नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति लॉक की जावें, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नही रहेगी।
18. अन्य .....

हस्ताक्षर प्रचार्य	हस्ताक्षर छात्रवृत्ति प्रभारी	हस्ताक्षर छात्र

(नोट :– समस्त दस्तावेज इसी क्रम में आवेदन के साथ संलग्न करें, एवं यह प्रपत्र सभी आवेदनों के साथ संलग्न करें।)

बिंदु क्रमांक 3

प्रपत्र-द

शासकीय महाविद्यालय

महाविद्यालय का नाम .....

।। प्रमाण-पत्र ।।

प्रमाणित किया जाता है, कि स्वीकृति क्रमांक ..... दिनांक ..... में समस्त छात्र–छात्राओं के आवेदन में खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही है, एवं सभी छात्र–छात्राओं के खाते वर्तमान में चालू स्थती में है, जिसका सत्यापन महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा किया गया है।

हस्ताक्षर छात्रवृत्ति प्रभारी	हस्ताक्षर प्राचार्य